डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर

बईजलास : शैलेश सुराणा, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्रीमती बाबरी बाई पत्नी स्व0 नेता रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्रीमती गोबरीबाई पुत्री स्व0 नेता रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्रीमती गुलाबी बाई पुत्री स्व0 नेता रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री मोहन पिता स्व0 नेता रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्री पेमा पिता स्व0 नेता रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।

..........वादीगण

बनाम

1. श्री सुरेश पिता कालु रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।
2. श्री भमरू पिता कालु रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्रीमती धनकी पत्नी स्व. कालु रावत निवासी सुरखड़ (आकोला) तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर (राज0)।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 55/18 (वाद)

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु शैलेश सुराणा, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वादपत्र की कलम 2(क) में वर्णित ग्राम पीपलवास की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 134 पर दर्ज आराजी नम्बर 419/1 रकबा 1 बीघा, 423/1 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के 1/3 हिस्से से तथा वादी संख्या 4 व 5 के 2/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजियात में जिन सहखातेदारो की भूमि पर रहन दर्ज है, वो रहन उनके नाम यथावत रहेगा।

इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 2(ख) में वर्णित ग्राम सुरखण्ड की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजी नम्बर 38, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 122, 202/1, 221/2, 233, 234, 242, 243, 244, 246, 259, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 373/1 कुल किता 31 कुल रकबा 34 बीघा 5 बिस्वा भूमि मे वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि मोहन, पेमा पिता नेता 2/12, सुरेश, भमरू पिता कालू, धनकी बेवा कालू 1/12 के बजाय वादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/24–1/24 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सयुंक्त रूप से 1/24 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, जमाबंदी में दर्ज शेष खातेदारो के हिस्से यथावत रहेंगे। उक्त आराजियात में जिन सहखातेदारो की भूमि पर रहन दर्ज है, वो रहन उनके नाम यथावत रहेगा।

इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 2(ग) में वर्णित ग्राम सुरखण्ड की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 57/1, 117/12, 117/13 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के 1/3 हिस्से से व वादी संख्या 4 व 5 के 2/3 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजियात में जिन सहखातेदारो की भूमि पर रहन दर्ज है, वो रहन उनके नाम यथावत रहेगा।

इसी प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 2(घ) में वर्णित ग्राम सुरखण्ड की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 260 किता 1 रकबा 0–05 बीघा भूमि जो वर्तमान में मोहन, पेमा पिता नेता, सुरेश, भमरू, पिता कालू, धनकी बेवा कालू 1/8 के नाम दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को

1/48–1/48 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज शेष खातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे।

वादपत्र की कलम संख्या 2(ड.) तथा 2(च) मे वर्णित ग्राम सुरखण्ड की आराजी नम्बर क्रमशः 63 तथा 64, 117/3, 117/5 के सम्बन्ध में चाही गई वादीगण की मांग को खारिज किया जाता है। साथ ही चूंकि वादपत्र की कलम संख्या 2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ) मे वर्णित आराजियात वादीगण तथा प्रतिवादीगण की सहखातेदारी हक की भूमि है, ऐसी स्थिति में सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नही पाये जाने से वादीगण की प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की दाद को भी खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **16.03.2020** को जारी की गई।

(शैलेश सुराणा) RAS.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2020.04.09 17:53:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: